न्यायालय:—सदस्य द्वितीय मोटरयान दुर्घटना, दावा अधिकरण, गोहद,जिला भिण्ड

(समक्षः पी०सी०आर्य)

क्<u>लेम प्रकरण क्रमांक:01 / 2014</u> संस्थित दिनांक—26.11.2012 <u>फाइलिंग नंबर—2303030003422012</u>

1— अनिल शर्मा, पुत्र—सुरेश कुमार, उम्र—28 साल, निवासी बीरेन्द्र नगर,भिण्ड।

____आवेदक

वि रू द्ध

- 1— बृजेश कुमार शर्मा, पुत्र— शिवचरन शर्मा,33 साल निवासी ग्राम जोरी ब्राम्हण, थाना बरोही जिलाभिण्ड। ———ट्रैक्टर चालक
 - 2.— श्रीनिवास शर्मा, पुत्र जनवेद शर्मा, आयु—40 साल, निवासी ग्राम रुअर, तहसील व जिला भिण्ड। ——— टैक्टर मालि
- 2— यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाख 14 ऊषा कॉलोनी, भिण्ड।

.....बीमा कंपनी -----अनावेदकगण

आवेदक द्वारा श्री के0सी0 उपाध्याय अधिवक्ता । अनावेदक क्रमांक—01व 2 द्वारा श्री सतीश मिश्रा अधिवक्ता । अनावेदक क्रमांक—03 द्वारा श्री आर.के. वाजपेयी अधिवक्ता ।

-::- <u>अधि-निर्णय</u> -::-(आज दिनांक 30 जून, **2014** को खुले न्यायालय में घोषित)

01— आवेदक की ओर से उक्त आवेदनपत्र अंतर्गत धारा—166 मोटर दुर्घटना अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन दुर्घटना में आयी साधारण और गंभीर चोटों के फलस्वरूप हुई शारीरिक, मानसिक पीडा एवं इलाज में लगे व्यय की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत करते हुए आवेदक 4,99,000को / —रूपये अनावेदकगण से संयुक्ततः एवं पृथक्कतः मय 9 प्रतिशत मासिक ब्याज सहित मय खर्चे के दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत किया है । 02— प्रकरण में यह निर्विवादित है कि अनावेदक अनिल शर्मा मूलतः बीरेन्द्रनगर भिण्ड का निवासी है तथा बताया गया घटना स्थल थाना पोरसा की तहसील अम्बाह जिला मुरैना के अन्तर्गत आता है।

आवेदक का आवेदन सार संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-3,11.2010 को ओवदक ग्राम बुधाना में क्वारी नदी के पूल के पास खडा हुआ था। विजय से बातें कर रहा था। उसी समय द्दैक्टर क्रमांक एम0पी0 30/ए.ए.—1882 का चालक उसे तेजी व लापरवाही से चलाकर लाया और आवेदक को टक्कर मार दी। जिससे उसके वायें पैर में अस्थिभंग हो गया तथा घुटने में चोट आई। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना पोरसा में अपराध कमांक 38/11 पर दर्ज की गई। आवेदक का इलाज सामुदायिक स्वास्थकेन्द्र पोरसा तथा सर्वोदय अस्पताल ग्वालियर में हुआ। दुर्घटना के फलस्वरूप हुए उपचार में आवेदक का करीव 1,15000 / – रूपये व्यय हुआ। आवेदक पी0ओ0पी0 का कार्य कर मजदूरी से 1,20000/— रूपये सालाना कमाकर दुर्घटना के फलस्वरूप उसके वायें पैर में दो जगह अस्थिमंग हो जाने से स्थाई अपंगता आ गई है और उसका वायां पैर डेढ इंच छोटा हो गया है, जिससे वह अपाहिज होने के कारण कार्य करने व चलने फिरने में असमर्थ हो गया है और उसकी आय कम हो गई है। अतः आवेदक ने भविष्य में हुई क्षति के लिये 2,50000 / - रूपये, इलाज पर हुये व्यय के मद में 1,15000 / - रूपये, उपचार के दौरान पोष्टिक आहार के मद में 20000 / - रूपये, मानसिंक वेदना व आर्थिक क्षति 10000 / — रूपये तथा स्थाई अपंगता के मद् 100000 / - रूपये, कुल 4,99000 / - रूपये प्रतिकर अनावेदकगण से दिलाये जाने हेत् यह क्लेम प्रकरण पेश किया है।

04— अनावेदक कृ.—1 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर विरोध करते हुए लेख किया है कि उसके द्वारा कोई दुर्घटना नहीं की गयी है तथा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक की कोई निश्चित आय नहीं थी। आवेदक ने गलत रूप से झूठे तथ्यों के आधार पर अपराध थाना पोरसा में पंजीवद्ध कराया है। आवेदक कोई भी क्षतिपूर्ती राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और यदि कोई क्षतिपूर्ती राशि आवेदक को प्राप्त होती है तो उसके लिये अनावेदक कमांक 03 उत्तरदायी हैं, क्योंकि अनावेदक कमांक 01 के पास वाहन चलाने का वैध एवं प्रभावी झ्रायविंग लायसेंस है।

अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से लिखित जवाव प्रस्तुत 05-करते ह्ये व्यक्त किया गया है कि आवेदक की कोई आय नहीं है और उसके मातापिता उसपर आश्रित नहीं हैं। आवेदक की आयू 28 वर्श होना स्वीकार नहीं है। द्रेक्टर चालक की लापरवाही एवं उपेक्षा से दुर्घना कारित नहीं हुई है। आवेदक को स्थाई विकलांगता कारित नहीं हुई है। आवेदक का कोई इलाज नहीं हुआ है और न ही इलाज में कोई राशि व्यय की गई है। वाहन का प्रमाणित रजिस्ट्रेशन एवं चालक का ड्रायविंग लायसेंस प्रस्तुत नहीं किया गया है। ट्रेक्टर केवल कृषि कार्य हेतु बीमित किया गया था। अतः बीमा कम्प्नी का कोई दायित्व नहीं है। आवेकद कोई भी क्षतिपूर्ती राशि प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। आवेदक ने मोटर साईकल तेजी व लापरवाही से चलाकर दुर्घटना कारित की है। इसलिए आवेदक कोई क्षतिपूर्ती राशि प्राप्त करने का अधिकारी नही है। द्रेक्टर चालक के पास प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नही था। जो बीमा शर्तों का उल्लंघन है। पॉलिसी की शर्तों के विपरीत वाहन चलाये जाने से अनावेदक क्रमांक 03 का कोई दायित्व नहीं है। द्रेक्टर का उपयोग बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लघन में किया जा रहा था। इसलिए अनावेदक क्रमांक 03 का कोई भी दायित्व शेष नहीं रह जाता है। अतः अनावेदक क्रमांक 03 के विरूद्ध क्लेम याचिका सव्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

06— उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्न लिखित वादप्रश्नों की रचना की गयी है, जिनके समक्ष मेरे द्वारा निकाले गये निष्कर्ष अंकित किए जा रहे हैं, जो इस प्रकार हैं:—

क्रमांक वाद प्रश्न

निष्कर्ष

- 01— क्या दिनांक 03/11/10 को शाम 06:10 बजे क्वारी नदी पुल के पास ग्राम बुधारा भिण्ड रोड पर अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा ट्रेक्टर क्रमांक एम0पी0 30/ए ए—1822 को तेजी व लापरवाही से चलाकर आवेदक को टक्कर मारकर उसे चोटें पहॅचाकर गम्भीर उपहति कारित की गई?
- 02— क्या उक्त दुर्घटना में आई चोटों से आवेदक को स्थाई असक्तता आयी ?
- 03— क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन चालक के पास वैध एवं प्रभावी ड्रायविंग लायसेंस नही था ? यदि हॉ तो प्रभाव ?

- 04— क्या घटना दिनांक को प्रश्नाधीन वाहन बीमा पालिसी की शर्तों का उल्लंघन कर चलाया जा रहा था ? यदि हाँ तो प्रभाव ?
- 05— क्या आवेदक क्षतिपूर्ती की राशि प्राप्त करने का अधिकारी है ? यदि हाँ तो किससे व कितना ?
- 06- सहायता एवं व्यय ?

—::— <mark>निष्कर्ष के आधार</mark> —::

वादप्रश्न कमांक 01

अभिलेख पर आवेदक की ओर से जो मोखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश की गई है उसमें आवेदक अनिल शर्मा ने यह प्रकट किया है कि घटना सुबह 06,07 बजे की होकर कथन दिनांक 19/02/14 के करीब 03 साल पुरानी बुधारा गांव के पुल के पास की बताई गई है कि वह और विजय उर्फ ब्रजेश साईड में खडे थे ओर वह दोनों मोटर साईकल से पोरसा से भिण्ड आ रहे थे। तब द्रेक्टर क्रमांक एम.पी. 30–1822 का चालक उसे कभी आगे पीछे करके लापरवाही से चला रहा था और उसने खडे में टक्कर मारदी थी। जिससे उसके वायें पैर में दो जगह अस्थि भंग हुआ था। घूटने माथे व पीढ में भी चोटें आई थी। विजय को भी लगी थी, जिसका उसने पोरसा और ग्वालियर में इलाज कराया था और रिपोर्ट की थी उसे ट्रैक्टर के मालिका व चालक का नाम पता नहीं है। उसका यह भी कहना है कि घटना के समय वह गोहद चौराहे पर किराये से निवास कर रहा था जिसका उसने किराया नामा प्र0पी0 26 पेश किया है। मकान मालिक का नाम उसे पता नहीं है। इस बात से इंकार किया है कि वह जयपुरा में ही निवास करता है और उसका स्थाई निवास भिण्ड में है, गोहद चौराहे पर नहीं है। आवेदक के निवास के संबंध में प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से यह वैधानिक आपत्ति ली गई है कि आवेदक वीरेन्द्र नगर भिण्ड का स्थाई निवासी है और घटना के समय वह गोहद चौराहे पर किराये से नहीं रहता था। तथा उसने किराया नामा उसने फर्जी तैयार किया है। इसलिये उसे अपने मकान मालिक का नाम पता नही है, जिसकी लिखित तर्कों में भी आपत्ति ली गई है, किन्त् अभिलेख पर

अनावेदक क्रमांक 03 के उपस्थित होते हुऐ भी खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है और अनावेदक क्रमांक 01 व 02 भी उपस्थित हैं। उनकी ओर से भी कोई खण्डन साक्ष्य पेश नहीं की गई है। जबिक आवेदक का समर्थन उसके साक्षी विजय शर्मा (अ०सा० 02) ने भी विगत 04–05 वर्षों से स्टेशन रोड भिण्ड पर आवेदक का निवासरत होना बताया है।

अभिलेख पर प्र0पी0 06 का किराया नामा इसी -80 दस्तावेजी साक्ष्य से खण्डित नहीं हुआ है तथा प्र0पी0 01 एवं 02 की मौखिक साक्ष्य का भी कोई खण्डन नहीं है और विजय वह व्यक्ति है जो दुर्घटना के समय भी आवेदक के साथ में बताया गया है। प्र0पी0 02 की थाना पोरसा जिला मुरैना में पंजीवद्ध कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्ट में दुर्घना ट्रेक्टर एम0पी0 30 / ए ए-1822 के चालक द्वारा आहत को खडे अवस्था में कर देना बताया है। प्र0पी0 02 की एफआईआर में भी आवेदक अनिल शर्मा का ताल निवासी पोरसा बताया गया है और पोरसा से ही भिण्ड आते समय की ध ाटना बताई है। ऐसे में आवेदक की मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित हो जाता है कि आवेदक की घटना के समय गोहद चौराहे पर किराये से निवासरत था। ऐसे में इस न्यायालय का उक्त तर्क दावा के विचारण और निराकरण की अधिकारिता रखता है और क्षतिपूर्ती के मामले में सिविल मामले की तरह साक्ष्य के सख्त नियम को लागू नहीं किया जा सकता है, क्यों कि क्षतिपूर्ती संबंधि प्राब्धान कलियान कारी है। इस संबंध में **दिनेश एवं अन्य विरूद्ध** राधेश्याम एवं अन्य 2005 (भाग–2) पेज अवलो कनीय जिससे अनावेदकगण की क्षेत्राधिकारिता को लेकर प्रारम्भिक आपत्ति अस्वीकार की जाती है।

09— आवेदक अनिल शर्मा द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में जिस स्थान की घटना बताई गई है उसकी पुष्टि विजय (अ०सा० 02) ने भी की है और थाना पोरसा में इस संबंध में पंजीवद्ध अपराध कमांक 38 / 11 धारा 279,337,338 भा०दं०सं० में विवेचना के दौरान घटना स्थल का बताया गया मानचित्र उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी० 04 के रूप में भी पेश की है, उससे भी पुष्टि होती है जैसाकि प्रथम दृष्टया आवेदक का यह कहना है कि वह विजय के साथ मोटर साईकल से पोरसा से भिण्ड आ रहा था तब दुर्घटना द्रेक्टर कमांक एम०पी० 30 / ए ए—1822 से हुई। जिसका भी कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं किया गया है तथा यह सुस्थापित विधि है कि दुर्घटना के मामलों में जहाँ वाहन स्वामी द्वारा यह आधार लिया

जाता है कि कोई दुर्घटना घटित नहीं हुई तो यह प्रमाणित करने का भार चालक पर ही आ जाता है। जैसा कि न्यायिक दृष्टांत सरदार रानी विरूद्ध नारायण पण्डित 2003 ए०सीं०जे० पेज 52 (एम0पी0 हाई कोर्ट) में पारित किया गया है। वर्तमान मामले में द्रैक्टर के वाहन स्वामी चालक व बीमा कम्पनी की ओर से खण्डन सांक्ष्य पेश नहीं की गई है। ऐसे में आवेदक की साक्ष्य किसी महत्वपूर्ण विसंगति न होने से इस बिन्द् पर भी विश्वसनीय होकर ग्राइय योग्य है। यह भी प्रथम दृष्टयाँ प्रमाणित पाया जाता है कि ट्रैक्टर कमांक एम0पी0 30/ए ए-1822 के चालक द्वारा ही उपेक्षापूर्वक या उतावलेपन से दुर्घटना घटित हुई जिससे प्र0पी0 01 का आपराधिक मामला बना। इस बिन्दु पर अनावेदक क्रमांक 3 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायद् ष्ट्रान्त रामकरन एवं अन्य विरुद्व जिलेसिंह एवं अन्य 2002 (1) द्0म्0प्रकाशिका, पेज-104(पंजाब व हरियाणा उच्च **न्यायालय)** पेश किया है, जिसमें यह मार्ग दर्शित किया गया है कि आरोप का सर्जन पर्याप्त नहीं होता ओर दांडिक न्यायालय दोशसिद्धि या दोषमुक्ति के निर्णय तक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण पर बाध्यकारी नहीं है। उपेक्षा साबित करने का भार हमेशा दावाकर्ता पर होता है, जो पूर्णतः सर्वमान्य सिद्वान्त है ओर यह न्यायालय भी इसका सम्मान करता है तथा वर्तमान हस्तगत प्रकरण में आवेदक मौखिक व दस्तावेजी सााक्ष्य से वह अपना प्रमाणभार निर्वहत करने में सफल पाया जाता है इसलिए उक्त न्यायदृष्टांत का अनावेदकगण को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो सका है, जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि दिनांक 3.11.2010 को सुबह करीब 6:10 बजे क्वॉरी नदी के पूल के पास ग्राम बुधारा भिण्ड रोड पोरसा पर द्रैक्टर क्रमांक एम0पी0 30/ए ए-1822 के चालक द्वारा दुर्घटना कारित की गई ओर वह द्वैक्टर चालक की उपेक्षा या उतावलेपन के कारण घटित हुई तथा उसे अनावेदक कमांक-2 दुर्घटना के समय चला रहा थ। यह भी अभियोजन साक्षी कुमांक 1 एवं 2 की सागक्ष्य से प्रमाणित पाया जाता है।

10. आवेदक की ओर से पंजीबद्व हुए आपराधिक मामले के साथ संलग्न की गई प्री एम0एल0सी0 रिपोर्ट (प्रदर्श पी 8 एवं 9) एवं प्रदर्श पी—2 की एक्सरे रिपोर्ट से वॉये पैर की धुटनरे के जोड़ पर पटेला हडडी का अस्थिभंजन होना भी प्रमाणित है ओर आवेदक ने भी वॉये पैर में दो जगह अस्थिभंजन ओर चोट आना बताया है जिसका अभियोजन साक्षी साक्षी क्रमांक 2 ने भी समर्थन किया है, जाके इलाज के संबंध में पर्चे भी पेश किए गये हैं। सर्वोदय

हॉस्पीटल के प्रदर्श पी0 22 लगायत 24 एवं जे0ए0एच0 ग्वालियर में भी उपचार होने के संबंध में दस्तावेज प्रदर्श पी018 एवं 25 लगायत 28 पेश किए गये हैं, जिनका खण्डन नहीं हैं ओर उसके संबंध में अनावेदकगण की ओर से अभियोजन साक्षी क्रमांक 1 व 2 को प्रतिपरीक्षण में उन्हें फर्जी तरीके से तैयार से तैयार करने का सुझाव दिया गया है। किन्तु वह फर्जी किस प्रकार से हैं इसका कोई स्पश्टीकरण न होने से दस्तावेजों के खंडन के अभाव में फर्जी या कूट रचित नहीं कहा जा सकता है, जिससे दुर्धटना में आहत अनिल को गंभीर उपहति कारित होना भी प्रमाणित होता है, जिससे वाद प्रश्न क्रमांक 1 पूर्णतः प्रमाणित निर्णीत किया जाता है।

वादप्रश्न कमांक-2

11. अभिलेख पर आवेदक की ओर से ऐसी कोई मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की गई है जिससे उसे दुर्घटना में पहुँची उपहित व अस्थिभंजन से आई स्थाई निशक्तता एवं उसके कार्य की क्षमता में कमी परिलक्षित हो। इस संबंध में कोई चिकित्सीय प्रमाण निशक्तता बाबत अभिलेख पर पेश नहीं किया गया है। मौखिक रुप से अवश्य आवेदक अनिल व उसके साक्षी विजय (अ0सा02) ने यह कहा है कि एक्सीडेण्ट के कारण उसका वॉया पैर पतला होकर छोटा हो गया है ओर अब वह मजदूरी नही कर पाता है। वह पी0ओ0पी0 का काम करता थर जिसे सर्वोत्तम साक्ष्य के अभाव में साीपित ओर प्रमाणित नहीं माना जा सका है इसलिए सीाई अश्क्तता प्रमाणित नहीं होती है। इसलिए वाद प्रश्न आवेदक के विरुद्ध निर्णीत कर अप्रमाणित ठहराया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 3 व 4

12. उक्त दोनों ही वाद प्रश्न एक दूसरे से संबंधित होने के कारण इनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई है। बिल्क प्रदर्श डी—1 की बीमा पॉलिसी को स्वीकार किया गया है जिससे दुर्धटनाकारी द्रैक्टर क्रमांक एम0पी0 30/ए ए—1822 दुर्धटना दिनांक को बैद्यरुपे से बीमित होने की पुष्टि होती है। आवेदक ने अपनी मौखिक साक्ष्य में दुर्धटनाकारी वाहन का बीमा, रिजस्ट्रेशन ओर चालक का ड्रायविंग लायसेन्स होने की बात बताई है ओर आपराधिक मामले में इस संबंध में महत्वपूर्ण दस्तावेज दुर्घटनाकारी द्रैक्टर के मय दस्तावेजों रिजस्टीकरण प्रमाणपत्र, बीमापत्र एवं चालक बृजेश शर्मा (अनावेदक साक्षी क्रमांक—1)के

ड्रायविंग लायसेन्स के विवरण वाला जब्ती पत्र प्रदर्श पी—6 की प्रमाणित प्रतिलिपी पेश की है तथा उक्त ट्रैक्टर का स्वामी अनावेदक कमांक 2 होने के संबंध में दांडिक न्यायालय से वाहन सुपुर्दगी पर लिया जाना बताया है , जिसका उल्लेख अभियोग पत्र प्रदर्श पी—1 में भी आंशिक रुप से किया गया है तथा वाहन सुपुर्दगी में लिए जाने का कोई खण्डन भी अनावेदक कमांक 1 व 2 की ओर से नहीं है, जिनकी आवेदक ने छायाप्रतियाँ भी पेश करना कहा है ओर दुर्धटना के समय आवेदक का साईड से खडे होना बताया है। ऐसे में यही उपधारित होगा कि ट्रैक्टर चालक के पास बैद्य एवं प्रभावी लायसेन्स था और आवेदक / आहत अनिल शर्मा तृतीय पक्ष है। ऐसे में बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लघन भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। फलतः बाद प्रश्न कमांक 03 एवं 04 अप्रमाणित निर्णीत कर अनावेदक कमांक 03 के विरूद्ध होना उहराया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 05 एवं 06

उक्त दोनां ही बाद प्रश्न सहायता से संबंधित होने के कारण उनका निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में आवेदक अनिल शर्मा ने अपनी साक्ष्य में दुर्घटना में आई चोटों के इलाज पर करीब एक सवा लाख रूपये खर्च करना तथा पोष्टिक आहार व भाडे आदि पर करीव 20—25 हजार रूपये खर्च करना और दुर्घना से उसे करीव 04—05 लाख रूपये का नुक्सान हो जाना अभिसाक्ष्य किया है तथा यह भी कहा है कि वह पी0ओ0पी0 का कार्य करता था और उसे उक्त कार्य से करीव एक सवा लाख रूपये सालाना की आमदनी होती थी। जो अब वायें पैर के पतला व छोटा हो जाने के कारण नहीं कर पाता है। ऐसा ही विजय अ०सा० 02 ने समर्थन करतेहुऐ मूलतः बताया है अभिलेख पर पी0ओ0पी0 का कार्य करने के संबंध में कुशल श्रमिक होने का कोई दस्तावेजे प्रमाण या इस संबंध में कोई योग्यता प्रमाण न होना आवेदक ने स्वीकार किया है, लेकिन वह राजस्थान में पी0ओ0पी0 का कार्य किसी राकेश सिंह के यहाँ करना और विजय द्वारा आवेदक के अधीन उक्त कार्य करना बताता है, जिसके समर्थन में राजस्थान निवासी राकेश सिंह, शम्भूलाल मीणा, प्रवीण सवरवाल, में से कोई पेश नहीं है तथा जैसा कि उपर भी उल्लेख हो चुका है कि स्थाई निशक्तता का कोई दस्तावेज नहीं है। जबकि किसी व्यक्ति के किसी शारीरिक अंग की कमजोरी या अकीयाशील होने पर उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाने के संबंध में चिकित्सा विशेषज्ञ ही स्पश्ट राय दे सकता है। ऐसे में आवेदक का 04–05 लाख रूपये का नुकसान हो जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जहाँ तक

चोटों के इलाज में हुए व्यय का प्रश्न है अभिलेख पर आवेदक की ओर से इस संबंध में जो मैडिकल बिल प्र0पी0 10 लगायत 17 तथा 22,23 एवं प्र0पी0 26ए,27 के जो विभिन्न बिल पेश किये गये हैं उनसे उपचार पर 40246 रूपये 50 पैसे व्यय किया जाना प्रमाणित है। आवेदक मजदूर पेशा व्यक्ति है और उसकी वास्तविक आय का कोई प्रमाण नही है। इसलिये उसकी अनुमानित आय 3000/-रूपये मासिक ही आंकलित होगी और उसे अस्थी भंजन हुआ है और दुर्घटना दिनांक से वह चोटों के आधार पर पीडित रहा और उसे शारीरिक व मानसिक वेदना झेलना पडी थी तथा चिकित्सा सलाह में विशेष पोष्टिक आहार ही लेना पडा होगा, इसका न्यायिक नोटिश लिया जा सकता है। अतः भुगतान किये गये बिल की राशि एवं पोशण आहार आवागमन अटैण्डर आदि के मद में 5000 / - रूपये तथा सहन की गई क्षति एवं वेदना के मद् में अस्थिभंग होकर घोर उपहति को देखते हुऐ 25000/- रूपये की क्षतिपूर्ती आवेदक को अनावेदकगण से दिलाया जाना उचित व न्याय संगत होगा। अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से लिया गया यह तर्क कि चिकित्सीय साक्ष्य के अभाव में न तो अस्थिभंग माना जा सकता है और न ही कोई शारीरिक क्षति मानी जा सकती है व स्वीकार नहीं किया जा सकता है। क्यों कि अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से कोई साक्ष्य पेश ही नहीं की गई है। ऐसे में आवेदक के दस्तावेजों को विश्वास योग्य माना जावेगा और इस संबंध में प्रस्तृत न्याय दृष्टांत नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी विरूद्ध श्रीमती शीत् बाई एवं अन्य आईएलआर (2008) एम0पी० 2367 से अनावेदक क्रमांक 03 को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता है। जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय ने मार्गदर्शित किया है कि केवल एफआईआर दर्ज होने के आधार पर आवेदक के पक्ष में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है जाकि पूर्णतः सर्वमान्य है। न्यायदृश्टांत के मामले में एफआईआर द्रक के विरूद्ध लिखाई गई थी और जब पुलिस द्वारा आरोप पत्र पेश किया गया उसके अनुसंधान में घटना द्क से न होकर वृक्ष से होना बताई गई है। ऐसी परिस्थिती वर्तमान मामले में नहीं है तथा **न्यायद्श्टांत स्धीर भईया विरूद्ध** नैशनल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड 2004 (भाग-2) <u>द्0म्0प्रकाशिका पेज 50 (कलकत्ता उच्च न्यायालय)</u> के न्यायदृश्टांत का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा क्यों कि स्थाई निसक्तता उपर के विशलेशण में निर्णीत नहीं की गई है और न्यायदृश्टांत के मामले में यह मागदर्शित किया गया है कि प्राईवेट हास्पीटल के बिल के साथ में संबंधित अस्पताल के चिकित्सक या कर्मचारी को साक्ष्य में आह्त किया जाकर उसे प्रमाणित कराया

जाना चाहिये। ऐसे मामले में संबंधित सर्वोदय अस्पताल पोरसा के किसी चिकित्सक या कर्मचारी का आवेदक ने कथन नहीं कराया है। किन्तु सम्पूर्ण उपचार उक्त सर्वोदय अस्पताल में नहीं हुआ है। बल्कि ग्वालियर स्थित जे.ए.एच. शासकीय अस्पताल में भी ह्आ है। ऐसे में उक्त न्यायदृश्टांत का भी कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से एक अन्य न्यायदृश्टांत उन्धेरी राम विरूद्ध कमलकिशोर शर्मा 2004 (भाग-1) दु०मू०प्रकाशिका पेज 160 (एम0पी0 हाई कोर्ट) पेश किया है। जिसमें यह मार्गदर्शित किया गया है कि पुलिस द्वारा जब्तकिये गये वाहन के संबंध में जहाँ वाहन क्रमांक ओर रंग में पुलिस रिपोर्ट व जब्तिपत्र से भिन्नता हो तो ऐसे में मुआवजा आवेदन निरस्त किया जाना चाहिये। उक्त न्यायदृश्टांत भी वर्तमान प्रकरण में लागू किये जाने योग्य नहीं है तथा इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 03 की कोई साक्ष्य नहीं है और एफ0आई0आर0 और जब्तिपत्र में वाहन के क्रमांक का कोई अंतर नहीं है न ही जब्त किये गये द्रैक्टर के रंग रूप में कोई भिन्नता आई है जो कि अनावेदक क्रमांक 02 ने सुपुर्दगी पर प्राप्त किया था। ऐसे में अनावेदक क्रमांक 03 की ओर से प्रस्तुत लिखित तर्क, न्यायदृश्टांत उसे लाभ नहीं पहुँचाते हैं और तर्कों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है और वाहन दुर्घटना दिनांक को बीमित होने से क्षतिपूर्ती का प्राथमिक दायित्व बीमा कम्पनी अनावेदक क्रमांक 03 पर ही रहेगा।

14— उरोक्त वर्णित विशलेशण के आधार पर आवेदक अनावेदकगण से संयुक्तः अथवा प्रथकतः दुर्घटना में हुई क्षिति के लिये क्षितपूर्ती राशि पाने का पात्र पाया जाता है, क्योंकि आवेदक द्वारा जो क्षितपूर्ती राशि चाही गई है वह अविवेक पूर्ण है और विधि अनुसार उसे चाही गई राशि प्राप्त करने की पात्रता नहीं है। जहाँ तक मूल आवेदन अन्तर्गत धारा 166 मोटर यान अधिनियम 1988 में द्वैक्टर के क्मांक को लेकर संसोधन किया गया है, जो न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया है। इस संबंध में आदेशपत्रिका दिनांक 17/05/13 में उक्त संशोधन को टंकणीय त्रुटी होना माना है। ऐसे में भी उपर वर्णित न्यायदृष्टांत प्रकरण में प्रयोज्य नहीं होंगे।

15— उक्त समग्र विवेचन के आधार पर आवेदक भुगतान बिल की राशि 40246/— रूपये 50 पैसे एवं अस्थिभंग को देखते हुए क्षतिपूर्ती की राशि 25000/— रूपये और विशेष पोषण आहार आवागमन आदि के लिये 5000/— रूपये तथा उपचार आदि के

दौरान उसे मजदूरी की हानि के मद् में 5000 / — रूपये, कुल 74,246 / — रूपये 50 पैसे दिलाया जाना उचित एवं न्याय संगत पाया जाता है और उक्त राशि पर आदेश दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 06 प्रतिशत वार्शिक व्याज की पात्रता पाई जाती है। फलतः वाद प्रश्न कमांक 05 एवं 06 आशिंक रूप से उपरोक्तानुसार आवेदक के पक्ष में प्रमाणित ठहराया जाता है और उसके पक्ष में और अनावेदकगण के विरुद्ध निम्न आशय का अधिनिर्णय पारित किया जाता है:—

- (अ)— आवेदक अनावेदकगण से संयुक्तः एवं प्रथकतः कुल क्षतिपूर्ती राशि 75,246 / रूपये 50 पैसे एवं उसपर आदेश दिनांक से पूर्ण अदायगी तक 06 प्रतिशत साधारण ब्याज प्राप्त करने का पात्र होगा।
- (ब)— उक्त क्षतिपूर्ती राशि में ब्याज के अदा करने का प्राथमिक उत्तरदायित्व अनावेदक क्रमांक 03 बीमा कम्पनी पर होगा, जिस वह वैद्य रूप से प्रमाणित करने पर अनावेदक क्रमांक 01 व 02 से कार्यवाही कर वसूली के लिये स्वतंत्र होगा।
- (स)— आवेदक उक्त क्षतिपूर्ती राशि में से 25000 / रूपये की राशि 02 वर्ष के लिये साअविध खाते में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में विधिवत् जमा कराया जावे जिस पर उक्त अविध के दौरान उसे अधिकरण की अनुमित के बिना ऋण भार प्रतिभूती स्वीकार न किया जावे न ही आहरण किया जावे। इस आशय के संबंध में बैंक को निर्देश जारी हो। शेष राशि आवेदक के राष्ट्रीकृत बैंक के बैंक खाते के माध्यम से विधिवत जमा कराई जावे।
- (द)— अनावेदकगण आवेदक की प्रकरण का व्यय वहन करेंगे। उसका अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित किये जाने पर अथवा 1000/— रूपये में से जो भी कम हो वह जोडा जावे।

तद्नुसार आज्ञप्ति बनाई जावे। दिनांकः30 जून 2014

अधिनिर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया

(पी.सी. आर्य) सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) सदस्य द्वितीय मोटरयान दावा दुर्घटना अधिकरण, गोहद जिला भिण्ड